भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2344

दिनांक 10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिये जाने के लिए

डंपिंग गतिविधि और घरेलू उद्योगों के लिए खतरा

2344. श्री **असादुद्दीन ओवैसी**:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी उद्योगों, विशेषकर चीन के कतिपय उद्योगों द्वारा डंपिंग की गतिविधियों में वृद्धि का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन विशिष्ट उत्पादों अथवा क्षेत्रों में डंपिंग गतिविधियों में वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या इस संबंध में व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा कोई जांच शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा घरेलू विनिर्माण को विदेशी उद्योगों की अधिक आपूर्ति से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) सस्ते आयात के कारण दबाव का सामना कर रहे घरेलू विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): जी हां, व्यापार उपचार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, विदेशी उद्योगों, विशेष रूप से चीन के कुछ उद्योगों द्वारा डंपिंग गतिविधियों का सामना करने के लिए व्यापार उपचार जांच करता है।

(ख) और (ग): कैलेंडर वर्ष 2024 में, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने समीक्षा जांच सहित तैंतालीस (43) एंटी-डंपिंग जांच शुरू की है जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	सम्बंधित देश
1	टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास	चीन पीआर, वियतनाम
2	पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट रेंजिन	चीन पीआर
3	अल्मूनियम फ्वाइल	चीन पीआर

4	पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन	चीन पीआर, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आरपी, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका
5	एसिटोनिट्रील	चीन पीआर, रूस, ताइवान
6	सकरीन	चीन पीआर
7	80 माइक्रॉन से कम एल्यूमीनियम फोएल	थाईलैंड
8	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन	चीन पीआर, ताइवान
9	पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड (केटीबी) और सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड (एसटीबी)	चीन पीआर, संयुक्त राज्य अमेरिका
10	विटामिन-ए पामिटेट	चीन पीआर, द यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड
11	अघुलनशील सल्फर	चीन पीआर, जापान
12	सजावट कागज	चीन पीआर
13	टिटेनियम डाइऑक्साइड	चीन पीआर
14	लिनर अल्काइल बेंजीन (एलएबी)	ईरान, कतर
15	प्रीटिलाक्लोर अपने किसी भी रूप में और इसका इंटरमीडिएट-2, 6-डायथाइल-एन-(2-प्रोपोक्सी एथिल) एनिलीन (जिसे पीईडीए के नाम से भी जाना जाता है)	चीन पीआर
16	एजो पिगमेंट्स	चीन पीआर
17	ग्लास फाइबर और उससे बनी वस्तुएं	बहरीन, चीन पीआर और थाईलैंड
18	किसी भी रूप में थिरम	यूरोपीय संघ
19	ऐक्रेलिक फाइबर	चीन पीआर, पेरू और थाईलैंड
20	ग्लूफ़ोसिनेट और उसका नमक	चीन पीआर
21	प्यूरिफाईड टेरेफ्थैलिक एसिड	कोरिया गणराज्य और थाईलैंड
22	टी-आकार की लिफ्ट/लिफ्ट गाइड रेल और काउंटरवेट गाइड रेल	चीन पीआर
23	लिक्विड इपॉक्सी रेजिन	चीन पीआर, कोरिया आरपी, सऊदी अरब, ताइवान और थाईलैंड
24	मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के गर्म रोल्ड फ्लैट उत्पाद	वियतनाम
25	एनीलाईन	चीन पीआर
26	कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील	चीन पीआर
27	1,1,1,2– टेट्राफ्लुओरोइथेन या आर-134ए	चीन पीआर
28	एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन रबर (एनबीआर)	चीन पीआर, यूरोपीय संघ, कोरिया आरपी और रूस
29	कुछ एंटीऑक्सीडेंट	चीन पीआर, सिंगापुर
30	पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन (पीटीएफई)	चीन पीआर, रूस
31	काला टोनर पाउडर कार्ट्रिज	चीन पीआर

32	मोनो इथिलीन ग्लाइकॉल	कुवैत, सऊदी अरब और सिंगापुर
33	हाइड्रॉक्सिल मान >= 23.5 का को-पॉलिमर पॉलीओल	चीन पीआर
34	कुछ क्रेन	चीन पीआर
35	ब्लैक टोनर - पाउडर में	चीन पीआर, मलेशिया, ताइवान
36	सोडियम सिट्रेट	चीन पीआर
37	सिलोक्सेन पॉलीऑक्सीएल्काइलीन सहपॉलिमर जिनकी विस्कोसिटी 2500सीएसटी तक होती है	चीन पीआर
38	रेसोर्सिनोल	चीन पीआर, जापान
39	पैरा नाइट्रोटोलुइन (पीएनटी)	यूरोपीय संघ
40	सौर सेल चाहे मॉड्यूल में संयोजित हों या पैनल में बने हों	चीन पीआर
41	वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड	चिली, चीन पीआर
42	खार राख	तुर्की, रूस, अमेरिका और ईरान
43	कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच	वियतनाम

(घ) से (च):

i) व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर), जो वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) का एक संबद्ध कार्यालय है, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत विभिन्न जांच (डंपिंग रोधी/सेफगार्ड/काउंटरवेलिंग) करता है, जो घरेलू उद्योग (डीआई) द्वारा दायर एक विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर होती है, जिसमें आरोप लगाया गया हो कि देश में सामान की डम्पिंग से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है।

ii) डीजीटीआर में प्राधिकरी घरेलू उद्योग द्वारा सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार दायर आवेदन की जांच करता है और आयातकों, निर्यातकों और अन्य इच्छुक पक्षों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करता है। इस जाँच के आधार पर, डीजीटीआर पाटनरोधी या पाटन सब्सिडी शुल्क या रक्षोपाय साधन अधिरोपित करने के सम्बंध में अपनी सिफारिशें विचारार्थ वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है।

iii) आवेदन दाखिल करने और डीजीटीआर को जवाब प्रस्तुत करने में उद्योग की सुविधा और सहायता के लिए डीजीटीआर में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। हेल्प डेस्क सक्रिय रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को आवेदन दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

****